प्रेस विज्ञप्ति

16.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों—चंदर भूषण सिंह और श्रीमती प्रियंका — के विरुद्ध बड़े पैमाने पर एमएलएम/पोंजी धोखाधड़ी मामले में, जिसमें 16,927 निवेशकों से एकत्र किए गए 308 करोड़ रुपये की आपराधिक आय शामिल है, माननीय विशेष न्यायालय (सीबीआई-सह-पीएमएलए), रांची के समक्ष धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। इसके अलावा, ईडी ने 12.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से 11 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा जमशेदपुर के साकची और गोविंदपुर पुलिस स्टेशनों में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपितों ने अपनी कंपनी के ज़रिए निवेशकों को आजीवन प्रत्येक माह 15% रिटर्न देने का वादा करके लोभ दिया। धन एकत्र करने के बाद, उन्होंने अचानक भुगतान बंद कर दिया और फरार हो गए। दोनों आरोपितों को 03.03.2023 को उद्घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित कर दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी एक क्लासिक पोंजी स्कीम चला रही थी — कोई असल ट्रेडिंग या बिज़नेस एक्टिविटी नहीं की गई थी; नए निवेशकों से मिले धन का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को "रिटर्न" देने के लिए किया गया था। आरोपितों ने जनता को धोखा देने के लिए अपने एनएसई अधिकृत व्यक्ति स्थिति को गलत तरीके से बताया, जबकि आरबीआई ने पुष्टि की है कि कंपनी का एनबीएफसी के रूप में कोई पंजीकरण नहीं था, जिससे उसका जमा लेना शुरू से ही गैर-कानूनी था। चंदर भूषण सिंह के लैपटॉप से मिले डिजिटल साक्ष्यों के फोरेंसिक विश्लेषण से घोटाले का वास्तविक पैमाना सामने आया, जिसमें 16,927 निवेशकों और लगभग 307.95 करोड़ रुपये की अपराध की आय शामिल थी, जिसकी पुष्टि 21 बैंक खातों में कुल 521.45 करोड़ रुपये जमा होने से हुई। इसमें से 249.69 करोड़ रुपये “रिटर्न” के तौर पुनर्चक्रित किए गए और 58.27 करोड़ रुपये रियल एस्टेट, सोने के गहनों और क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) में लगा दिए गए — जिससे अपराध की आय को छिपाया गया और बेदाग संपत्ति के तौर पर दिखाया गया। फरार होने के दौरान, आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए ‘दीपक सिंह’ के नाम से नकली आधार कार्ड बनवाया।

पांच राज्यों में 27 स्थानों पर तीन राउंड की तलाशी कार्रवाई की गई, जिसमें अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, सोने की ज्वेलरी, 14,757 यूएसडीटी और 10 लाख रुपये नगद बरदमद हुए। इससे पहले, ईडी ने दोनों निदेशकों को 16.12.2025 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। वर्तमान में दोनों आरोपित रांची स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।